प्रेस विज्ञप्ति
30.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के साझेदार इमरान बाबा और श्रीमती सगीना यासीन की लगभग 1.56 करोड़ रुपये की सात (7) अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अचल संपत्तियों में श्रीनगर के मौजा बरिनमबल में खसरा नंबर 1329, 1330,1331,1332, 1334 और 1335, खेवट नंबर 92 और खाता नंबर 182 में 17 मरला जमीन,हैदरपोरा में 26 मरला भूमि और हैदरपोरा, श्रीनगर में एक आवासीय घर शामिल है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीनगर द्वारा बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा और पीएचईडी, कश्मीर के कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि पीएचईडी, कश्मीर द्वारा विभिन्न गैसीय क्लोरीनीकरण संयंत्रों के लिए स्पेयर पार्ट्स को मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज से अत्यधिक कीमत पर खरीदा गया था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा ने पीएचईडी, कश्मीर के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पीएचईडी, कश्मीर को क्लोरीनेशन संयंत्रों के लिए अत्यधिक कीमत, संयंत्र की वास्तविक कीमत का 200%, पर स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति की और इस प्रकार 1.56 करोड़ रू. (लगभग) अपराध के आगम अर्जित किए। यह भी

पता चला है कि मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा ने अपराध के उपरोक्त आगमों का उपयोग करके अपने और अपनी पत्नी सगीना यासीन के नाम पर उपरोक्त अचल संपत्तियां अर्जित कीं।

आगे की जांच जारी है।